

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 280 सेवा में,	/ 23 एल.ए. दिनांक-गोपेश्वर 25 02 / 2022	
	प्रभागीय वनाधिकारी,	
	बद्रीनाथ वन प्रभाग,	
	गोपेश्वर ।	
विषय :	जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई– मोल्टा	
	तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (1.810 हे。) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु	
	लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।	
	(FP/UK/ROAD/45735/2020)	
सन्दर्भ :	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक	
	8 बी/यूसीपी/06/71/2021/एफ0सी0/1470 दि. 21.01.2022 ।	
महोदय,		

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/45735/2020 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित है :--

कम	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण		
संव				
1-	In reply to point No.1, though the correct KML file of 3.62 Ha CA area has been uploadecd now but it is not clear that the proposed area is Reserve Forest Land or Civil land. In one document uploaded online (उपजिलाधिकारी, जोशीमठ का पत्रांक 190/र0का0-क्षति वृक्षा0/2019 दि. 22.03.2019) the area is mentioned to be in civil land and in other document (क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र) it is mentioned as reserve forest land. This diccrepancy may be clarified and correct information/document in this regard are required to be submitted/uploaded.	मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपजिलाधिकारी, जोशीमठ द्वारा खसरा नं0 457 एवं 459 में कुल 3.62 हे0 भूमि उपलब्ध करायी गयी। किन्तु विगत दैवी आपदा में भूस्खलन के कारण खरा नं0 457 में 0.62 हे0 भूमि ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त रह गयी। इस कम में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दशोली पंचम कं0नं0 7 में 3.00 हे0 क्षतिपरक वृक्षारापेण हेतु स्थल प्रदान किया गया है। इस प्रकार 1.81 हे0 के विरुद्ध कुल 3.62 हे0 क्षतिपरक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि उपलब्ध है। जिसका कि उपयुक्तता प्रमाण पन्न भी सम्बन्धित डी.एफ.ओ. द्वारा प्रदान किया गया है। जिसे Part-I, ≰ एवं Additional iformation के SI.No29, ⊄पर संलग्न कर दिया गया है। साथ ही संशोधित KML File भी अपलोड कर दी गयी है।		
2-	As per the DSS analysis of the CA ara, 1 ha area found in VDF and 2 ha area found in MDF, If the CA area in Reserve Forest land then the same cannot be accepted and is required to be changed. If the area is in civil land, plantation scheme as per guidelines dt 08-11-2017 is required to be submitted along with the details of area selected for alternate plantation.	Same as above point no 1		
3-	In reply to point No. 02, legible copy of the CA scheme is still not submitted. The Stat Govt. is requested to uploaded the clear scanned copy of the same.	legible copy of the CA scheme is now uploading, also in additional information Sl.No		
अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते				
टरो नो	हुये नोडल अधिकारी देहरादन को अग्रेसित करने का कुछ करें।			

हुये नोडल अधिकारी, देहरादून को अग्रेसित करने का कष्ट करें। संलग्न – सूचना 4–4 प्रतियों में।

Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Gopeshwar